

फॉर्म एफसी-टीआरएस	
निवासी से अनिवासी/अनिवासी से निवासी से बिक्री के रूप में शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों (सीएमसीपीएस)/डिबेंचरों के अंतरण संबंधी घोषणापत्र	
(निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी शाखा को प्रस्तुत किया जाना है)	
	<p>निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये हैं</p> <p>भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों /डिबेंचरों की बिक्री के लिए</p> <ol style="list-style-type: none"> विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुमति पत्र और बादवाले मामले में मुख्तारनामा दस्तावेज। भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशकर्ता कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न । किसी सनदी लेखाकार से शेयरों का उचित मूल्य दर्शानेवाला प्रमाणपत्र । यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है तो शेयर दलाल के नोट की प्रति । क्रेता से इस आशय का घोषणापत्र कि वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों /डिबेंचरों के अधिग्रहण के लिए पात्र है और मौजूदा क्षेत्रीय सीमाओं और कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है । विदेशी संस्थागत निवेशक / उप खाते से इस आशय का घोषणापत्र कि व्यक्तिगत विदेशी संस्थागत निवेशक / उप खाते के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा का भंग नहीं किया गया है । <p>भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों /डिबेंचरों की बिक्री के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि विक्रेता अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय हैं तो उनके द्वारा प्रत्यावर्तन/अप्रत्यावर्तन आधार पर धारित शेयरों की साक्ष्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन, यदि लागू हो, की प्रतियां । आय कर प्राधिकारी / सनदी लेखाकार से अनापत्ति/कर निकासी प्रमाणपत्र ।
1	<p>कंपनी का नाम</p> <p>पता(ई-मेल,टेलीफोन संख्या, फैक्स सं. सहित)</p> <p>गतिविधि</p> <p>एनआइसी कूट सं.</p> <p>क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्व-अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत है अथवा नहीं</p> <p>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय उच्चतम सीमा</p>
3	<p>लेनदेन का स्वरूप</p> <p>(जो लागू नहीं है उसे हटा दिया जाए)</p> <p>निवासी से अनिवासी को अंतरित/ अनिवासी से निवासी को अंतरित</p>
4	<p>क्रेता का नाम</p> <p>निवेशकर्ता संस्था की संरचना/स्वरूप</p> <p>स्पष्ट करें कि क्या है</p> <ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत कंपनी

	3. विदेशी संस्थागत निवेशक 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेश 5. विदेशी न्यास 6. निजी इक्विटी निधि 7. पेंशन/भविष्य निधि 8. सरकारी कल्याण निधि(एसडब्ल्यूएफ) 9. भागीदारी/स्वामित्ववाली कंपनी 10. वित्तीय संस्था 11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति 12. अन्य समावेशन की तारीख और स्थान क्रेता का पता (ई-मेल,टेलीफोन संख्या, फैक्स सं. सहित)	
5	विक्रेता का नाम	

एसडब्ल्यूएफ का अर्थ सरकारी निवेश माध्यम है जिसका निधियन विदेशी मुद्रा आस्तियों द्वारा किया जाता है, और जो उन आस्तियों को मौद्रिक प्राधिकारियों के अधिकारिक आरक्षित निधियों से अलग रखता है ।

	विनिवेशकर्ता संस्था की संरचना/स्वरूप स्पष्ट करें कि क्या है 1. व्यक्तिगत 2. कंपनी 3. विदेशी संस्थागत निवेशक 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेश 5. विदेशी न्यास 6. निजी इक्विटी निधि 7. पेंशन/भविष्य निधि 8. सरकारी कल्याण निधि(एसडब्ल्यूएफ) 9. भागीदारी/स्वामित्ववाली कंपनी 10. वित्तीय संस्था 11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति 12. अन्य समावेशन की तारीख और स्थान विक्रेता का पता (ई-मेल,टेलीफोन संख्या, फैक्स सं. सहित)			
6	भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्वानुमोदन के ब्योरे			
7	अंतरित किये जानेवाले शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों(सीएमसीपीएस)/डिबेंचरों संबंधित ब्योरे			
	लेनदेन की तारीख	शेयरों/ सीएमसीपीएस/ डिबेंचरों की संख्या	अंकित मूल्य रुपये में	अंतरण** के लिए प्रतिफल की बातचीत से तय राशि रुपये में कीमत रुपये में
8	कंपनी में विदेशी निवेश	शेयरों की संख्या		प्रतिशत
		अंतरण के पहले		

		अंतरण के बाद में		
9	शेयर/सीएमसीपीएस/ डिबेंचर कहां पर सूचीबद्ध हैं			

एसडब्ल्यूएफ का अर्थ सरकारी निवेश माध्यम है जिसका निधियन विदेशी मुद्रा आस्तियों द्वारा किया जाता है, और जो उन आस्तियों को मौद्रिक प्राधिकारियों के अधिकारिक आरक्षित निधियों से अलग रखता है।

	<p>शेयर बाजार शेयर बाजार का नाम शेयर बाजार में लगायी गयी कीमत शेयर/सीएमसीपीएस/डिबेंचर कहां पर असूचीगत हैं मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत* सनदी लेखाकारों के अनुसार कीमत</p> <p>*/** मूल्यांकन रिपोर्ट(सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है</p>	
<p>अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणापत्र</p> <p>मैं/हम एतद्वारा घोषित करताहूँ/करते हैं:</p> <p>i. उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।</p> <p>ii. मैं/हम प्रत्यावर्तन/अप्रत्यावर्तन आधार पर फेरा/फेमा के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार शेयर /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर धारित करता था/करते थे।</p> <p>iii. मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के शेयर /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ/हैं। यह किसी वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं हैं ऐसे क्षेत्र में कार्यरत कंपनी के शेयर /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर के संबंध में अंतरण नहीं है।</p> <p>iv. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय उच्चतम सीमा और कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर</p> <p>दिनांक:</p> <p>टिप्पणी</p> <p>निवासी से अनिवासी को शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणापत्र पर अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने है और अनिवासी से निवासी को शेयरों /अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के संबंध में घोषणापत्र पर अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने है।</p>		

प्राधिकृत व्यापारी शाखा द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनपत्र सभी तरह से पूर्ण है ।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियमावली/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है ।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक: प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी शाखा कूट